



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 1724 - काविनी एवं वे०प्र० - 29 / पाकालि / 09 - 17 - काविनी एवं वे०प्र० / 08 दिनांक 10 दिसम्बर, 2009

कार्यालय झाप

वेतन पुनरीक्षण विषयक आदेश सं० 175-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09 के निर्गतन की तिथि दिनांक 19.02.2009 के पूर्व, अर्थात् दिनांक 18.02.2009 तक अपुनरीक्षित वेतनमान में देय किन्तु स्वीकृत न हो सके समयबद्ध वेतनमानों की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्गत आदेश सं० 783-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 29.06.09 के प्रस्तर-3(II) को संशोधित करते हुए विकल्प प्रस्तुत करने की समय-सीमा को, एतद्वारा, दिनांक 31.01.2010 तक बढ़ाये जाने एवं प्रस्तर-3(III) के प्राविधानानुसार उक्त समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता सम्बन्धी आदेश के निर्गमन के उपरान्त 30 दिन तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पुनरीक्षण का विकल्प-पत्र प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के क्रियान्वयन हेतु वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी आदेश में प्राविधानित विकल्प-पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं० 1724- (1) काविनी एवं वे०प्र० - 29 / पाकालि / 2009 - तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा० का० लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के निजी सचिव।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी-17, जे० रोड, महानगर, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
8. समस्त महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं II), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
14. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० 407, शक्ति भवन को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(Handwritten signature)

आज्ञा से,
(Handwritten signature)
(मो० राशिद)
संयुक्त सचिव (काविनी)